रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 1975/श्रावण 6, 1897

No. 275] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 1975/SRAVANA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July 1975

S.O. 390(E).—The following modifications which the Central Government proposes to make to the zoning regulations applicable to the residential plots in the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address :—

Modifications

I. On page 55 foot note (3) which reads as under—

"The number of dwelling units on a plot will be reckoned the same as the number of floors permissible plus the number of servants' quarters mentioned above," will be substituted by—

"The number of dwelling units on a plot will be reckoned as in the following table—

Plot size	Number of dwelling unit
(1)	(2)
1. Upto 500 sq. mts. (about 600 sq. yds.)	One dwelling unit on each floor.
2. Above 500 sq. mts. (about 600 sq. yds.) upto 1500 sq. mts. (about 1800 sq. yds.)	Two dwelling units on each floor, whether attached or detached.

(1)	(2)
3. Above 1500 sq. mts. (about 1800 sq. yds.) upto 2250 sq. mts. (about 2700 sq. yds.)	Three dwelling units on each floor whether attached or detached.
4. Above 2250 sq. mts. (about 2700 sq. yds.) upto 3000 sq. mts. (about 3600 sq. yds.)	Four dwelling units on each floor whether attached or detached.
5. Above 3000 sq. mts.) (about 3600 sq. yds.) upto 3750 sq. mts. (about 4500 sq. yds.)	Five dwelling units on each floor whether attached or detached.
6. Above 3750 sq. mts. (about 4500 sq. yds.)	Six dwelling units on each floor whether attached or detached

II. On page 55 foot note (2), which reads as under—

"The number of persons per servants' quarter mentioned in the above table will be reckoned as 4.5" will be read as follows—

"The number of persons per servants' quarter mentioned in the above table will be reckoned as 2.0."

III. *Page* 54—

On page 54, the sub-para (b) :—

"Plots above 250 sq. mts. (about 300 sq. yds.) and not exceeding 500 sq. mts. (about 600 sq. yds.)	One servants' quarter per dwelling unit."

will be read as follows—

"Plots above 250 sq. mts. (about 300 sq. yds.)	One servants' quarter per dwelling unit."

IV. *Page* 55—

On page 55, the sub-paras (c) and (d), which read as follows, will be deleted :—

"(c) Plots above 500 sq. mts. (about 600 sq. yds.) and not exceeding 1000 sq. mts. (about 1200 sq. yds.)	Two servants' quarters per dwelling unit.
(d) Plots above 1000 sq. mts. (about 1200 sq. yds.).	Three servants' quarters per dwelling unit.

V. *Page* 59—

On page 59, after the foot note (5) and above the words-II "Agricultural Green Belt" and "Rural" "Use Zones", the following foot note will be added—

6. 'Group housing' includes construction of a number of dwelling units, without customary division into streets and individual holdings, with a view to ensuring more rational distribution of space and creation of desirable environment. It also includes creation of several dwelling units out of one dwelling unit by partition.

The proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days, except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(4)/75-M.P.]

H. N. FOTEDAR,
Secretary,
Delhi Development Authority.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1975

का० आ० 390(अ).—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में आवासीय भूखण्डों पर लागू किए जाने वाले क्षेत्रीय नियमों में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है। इसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। इन संशोधनों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह अपने आपत्ति/सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आपत्ति सुझाव दें, वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधन

I. पृष्ठ 55 के निम्न नोट (3) को निम्न प्रकार पढ़ा जाए—

"एक भूखण्ड पर आवासीय इकाइयों उतनी होंगी, जितनी उक्तानुसार निर्धारित मंजिलों की संख्या तथा नौकरों के क्वार्टरस," 'जिसे इस प्रकार रखा जायगा —

"एक भूखण्ड पर आवास इकाइयां की संख्या निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी—

	भूखण्ड का आकार	आवास इकाइयों की संख्या
1.	500 वर्ग मीटर (लगभग 600 वर्ग गज) तक	प्रत्येक मंजिल पर एक आवास इकाई।
2.	500 वर्ग मीटर से 1500 वर्ग मीटर (लगभग 600 वर्ग गज से 1800 वर्ग गज) तक	प्रत्येक मंजिल पर दो आवास इकाइयां यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो अथवा पृथक।
3.	1500 वर्ग मीटर से 2250 वर्ग मीटर (लगभग 1800 वर्ग गज से 2700 वर्ग गज)	प्रत्येक मंजिल पर तीन आवास इकाइयां यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो अथवा पृथक।
4.	2250 वर्ग मीटर से 3000 वर्ग मीटर (लगभग 2700 वर्ग गज से 3600 वर्ग गज) तक	प्रत्येक मंजिल पर चार आवास इकाइयां यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो अथवा पृथक।
5.	3000 वर्ग मीटर से 3750 वर्ग मीटर (लगभग 3600 वर्ग गज से 4500 वर्ग गज) तक	प्रत्येक मंजिल पर पांच आवास इकाइयां यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो अथवा पृथक।
6.	3750 वर्ग मीटर से अधिक (लगभग 4500 वर्ग गज) तक	प्रत्येक मंजिल पर 6 आवास इकाइयां यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो अथवा पृथक।

II. पृष्ठ 55 पर निम्न नोट (2) को निम्न प्रकार पढ़ा जाए —

"उक्त तालिका में प्रत्येक कर्मचारियों के क्वार्टर्स के अनुसार व्यक्तियों की संख्या 4–5 होगी" जिसे निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा।

"उक्त तालिका में प्रत्येक कर्मचारियों के क्वार्टर्स के अनुसार व्यक्तियों की संख्या 2.0 होगी"

III. पृष्ठ 54—

पृष्ठ 54 पर उप-पैरा (बी) :—

"2500 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 500 वर्ग मीटर (लगभग 300 वर्ग गज से 600 वर्ग गज) तक भूखंडों के लिए	प्रत्येक आवास इकाई के लिए एक क्वार्टर।"

इसे निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा

"2500 वर्ग मीटर से अधिक (लगभग 300 वर्ग गज) भूखण्डों के लिए	प्रत्येक आवास इकाई के लिए एक क्वार्टर।"

IV. पृष्ठ 55—

पृष्ठ 55 पर उप-पैरा (सी) तथा (डी)	जिन्हें जो निम्न प्रकार है, को हटा दिया जायगा।
"(सी) 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर (लगभग 600 वर्ग गज से 1200 वर्ग गज) तक के भूखण्डों के लिए	प्रत्येक आवास इकाइयों के लिए दो क्वार्टरस।"
(डी) 1000 वर्ग मीटर से अधिक (लगभग 1200 वर्ग गज) के भूखंडों के लिए	प्रत्येक आवास इकाइयों के लिए तीन क्वार्टरस

V. पृष्ठ 59—

पृष्ठ 59 पर निम्न नोट (5) के पश्चात II "कृषि सम्बन्धी हरी पट्टी" तथा "ग्रामीण" "उपयोग क्षेत्र" से पूर्व निम्नलिखित नोट सम्मिलित किया जायगा —

6. 'ग्रुप हाउसिंग' में गलियों तथा प्रत्येक के स्थान का व्यवहारिक विभाजन के बिना जिसमें स्थान का वितरण युक्तियुक्त दृष्टि से अधिक स्थान की प्राप्ति तथा उचित वातावरण उत्पन्न करने की दृष्टि से आवास इकाईयां के अधिक संख्या में निर्माण सम्मिलित है इसमें एक आवास इकाई को विभाजित करते हुए कई आवास इकाइयों का निर्माण भी सम्मिलित है।

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–1 में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधनों का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एफ० 20(4)/75-एम० पी०]

हृदय नाथ फोत्तेदार,
सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975